समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 27-03-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) राजस्व :-

दखल देहानी :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दखल देहानी हो गया है, मात्र मधेपुरा अंचल में तथा आलमनगर में 03 दखल देहानी का मामला लंबित है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा /आलमनगर को निदेशित किया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

राजस्व वसूली :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आलमनगर में मात्र 43 प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है। जबकि मार्च माह समाप्ति की ओर है। ग्वालपाड़ा में 45 प्रतिशत हुआ है। बताया गया कि ग्वालपाड़ा अंचल में जमीनदार बहुत है, परन्तु राजस्व की वसूली का कम होना चिंता का विषय है। निदेश दिया गया कि जमीन टेक ऑभर हेतु नोटिस नियमानुसार निर्गत करें। इसी प्रकार सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब राजस्व की वसूली अधिक से अधिक किया जाए।

कम्प्युटराईजेंशन :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 26000 में से मात्र 24 का ही कम्प्युटराईजेंशन किया गया है, जबकि अभी भी बहुत सारे बांकी है। बताया गया कि कम्प्युटर ऑपरेटर के कमी के कारण कार्य धीमी गति से हो रहा है। निदेश दिया गया कि बंदोवस्त, निर्वाचन, सांख्यिकी, योजना, उद्योग आदि के कम्प्युटर ऑपरेटरों को अपने कार्यो के अतिरिक्त एन0आई0सी0, मधेपुरा में उक्त कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त करें तथा उसे लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए कि प्रतिदिन कम से कम 100 इन्ट्री करें। यदि संबंधित कर्मी द्वारा 100 से कम इन्ट्री किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि पुनर्वासितों को बसाने हेतु नियमानुसार जमीन उपलब्ध कराने का निदेश अंचलाधिकारी, आलमनगर को दिया गया। साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

अंचलाधिकारी, चौसा द्वारा बताया गया कि पर्चा निर्गत करने हेतु कार्रवाई की जा रही है, एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण हो जाएगा। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

(4) लोक शिकायत निवारण कार्यालय, उदाकिशुनगंज :-

समीक्षा के क्रम अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि निम्नांकित अंचलाधिकारी के यहां मामला लंबित है :-

ग्वालपाड़ा :- अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा के यहां 03 मामला लंबित है। बताया गया कि दिनांक 01-03-2017 से दिनांक 25-03-2017 तक लोक शिकायत की सुनवाई में जितने भी पदाधिकारी उपलस्थित नहीं हुए है, उसकी सूची समर्पित की गयी है, तत्पश्चात् संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। फलस्वरूप जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ससमय लोक शिकायत की सुनवाई में उपस्थित होकर मामलों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

एल0डी0एम0 :- बताया गया कि एल0डी0एम0 के यहां 04 मामला लंबित है, जिसमें वह चारों में अनुपस्थित पाये गये।

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा :- बताया गया कि 03 मामला लंबित है, जबकि तीनों मामलें में अनुपस्थित पाये गये।

निदेश दिया गया कि एक प्रपत्र तैयार करें, जिसमें संबंधित लोक शिकायत प्राधिकार को उपस्थित रहने हेतु निदेशित करें, तत्पश्चात् यदि उनके स्थान पर कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं होते हैं, तभी उन्हें अनुपस्थित समझा जाए।

ग्वालपाड़ा :- ग्वालपाड़ा अंचलाधिकारी के यहां 05 मामला लंबित पाया गया। निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व निराकरण करें।

पुरैनी :- इसी प्रकार पुरैनी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के यहां मामला प्रोत्साहन राशि से संबंधित पाया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करावें।

आलमनगर :- यह भी बताया गया कि आलमनगर में 05 मामला लंबित है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करें।

(5) मधेपुरा लोक शिकायत निवारण कार्यालय :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 50 मामलों में से 44 मामला बच गया है, जिसमें कुछ मामलें पुराना है। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि कितना मामला पुराना है तथा कितना लंबित है, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि इस संबंध में स्पष्ट जानकारी एवं विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक शनिवार के अपराह्न 12:00 बजे तक समर्पित करें, ताकि इसकी भी समीक्षा की जा सकी।

यह भी निदेश दिया गया कि वैसे पदाधिकारियों को नोटिस निर्गत किया जाए, जहां से न तो वे उपस्थित होते हैं और न ही उनके स्थान पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं।

(6) इंदिरा आवास :-

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी इंदिरा आवास सहायक के भरोसे ही नहीं रहा जाए। क्योंकि उनके द्वारा सर्वेक्षण में लापरवाही बरती जा सकती है, अतएव नियमानुसार प्रतिवेदन प्राप्त कर ही नाम काटने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु एस0ई0सी0सी0(SECC) के डाटा से मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से यह पृच्छा की गयी कि कितना इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ, कितना प्रारंभ हुआ, कितना निरीक्षण किया गया तथा कितना में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, की संख्या बतावें, परन्तु इस संबंध में किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी।

समीक्षा के क्रम में मधेपुरा तथा सिंहेश्वर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसे लाभुक जो राशि प्राप्त करने के बाद इन्दिरा आवास का निर्माण नहीं किया है उनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केश किया गया है। जबकि शंकरपुर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शंकरपुर में 7268 है, जिसमें 114 में से 80 में कार्य प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। कुमारखण्ड–80, मधेपुरा–119, मुरलीगंज–194, पुरैनी–63, सिंहेश्वर–100, उदाकिशुनगंज–108 में कार्य शुरू नहीं हुआ है।

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में मात्र 14 प्रतिशत ही प्रगति है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार जी0ई0ओ0 में मुरलीगंज, आलमनगर, मधेपुरा, कुमारखण्ड आदि में अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

(7) आधार कार्ड की स्थिति :–

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आधार कार्ड निर्माण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिलान्तर्गत 19 केन्द्र है, जबकि प्रतिदिन कम से कम 150 आधार कार्ड बनाया जाना है, परन्तु किसी भी प्रखण्ड में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, जो खेद का विषय है। बताया गया कि बिहारीगंज, आलमनगर ,उदाकिशुनगंज में आधार कार्ड निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। संबंधित एजेंसी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्य प्रारंभ करें तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त को इसका अनुश्रवण करने का अनुरोध किया गया।

इसी प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि 0–5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड मात्र 14 प्रतिशत ही बना हुआ है, जो खेद का विषय है, फलस्वरूप अपने स्तर से सभी संबंधित ऑगनवाड़ी सेविका /सहायिका /महिला पर्यवेक्षिका /बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विगत बैठक में जिला समन्वयक, आधार कार्ड को प्रत्येक सोमवारीय बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया था, परन्तु वे अनुपस्थित पाये गये, फलस्वरूप उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में संबंधित समन्वयक के विरूद्ध विभाग को पत्राचार किया जाए।

(8) पंचायत :–

समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वार्ड सदस्यों को भत्ता नियमानुसार दिया जाना है, जिसके लिए संबंधित वार्ड सदस्यों का /पंचायत प्रतिनिधि का बैंक खाता नम्बर उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि सभी संबंधितों को सूचित करें एवं डी0आर0डी0ए0 में वांछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु संसूचित किया जाए।

(9) कोशी पुनर्वास :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि किसी भी प्रखण्ड में कोई मामला लंबित नहीं है। कुल 757 लाभुकों का आवास संबंधी मामलों के संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(10) अग्रणी बैंक प्रबंधक :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एस0बी0आई0 लालपुर से कोशी पुनर्वास का पैसा लंबित है, जहां से बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होना है, परन्तु अभी तक उक्त स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(11) पेंशन :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के फर्जी लाभान्वितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि अपने स्तर से सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से इसकी जांच कराकर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करावें। अतएव सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में कुमारखण्ड 8048 में 7467 लाभुकों का खाता खोला गया है। जबकि गम्हरिया 8300 में से 8200 का खाता खोला गया है। इसी प्रकार घैलाढ़ में 900, चौसा में 600, पुरैनी में 1700, मधेपुरा में 500 तथा बिहारीगंज में 200 खाता खुलने हेतु बचा हुआ है।

इसी प्रकार खाता लॉक की स्थिति के संबंध में बताया गया कि घैलाढ़, कुमारखण्ड, चौसा, मुरलीगंज आदि में खाता लॉक करने हेतु बचा हुआ है। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दिनांक 31-03-2017 के पूर्व शत-प्रतिशत लॉक करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई होगी।

(12) ए0सी0 /डी0सी0 विपत्र :-

समीक्षा के क्रम में आई0सी0डी0एस0 अन्तर्गत कन्या विवाह योजना की राशि के संबंध में पृच्छा की गयी, तो बताया गया कि राशि की निकासी नहीं हो पा रही है। उपयोगिता प्रमाण लंबित रहने के कारण निकासी में समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि चेक लिस्ट कोषागार में जमा कर नियमानुसार निकासी अविलम्ब किया जाए।

कबीर अन्त्येष्ठि :- बताया गया कि राशि सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दी गयी है। बताया गया कि संबंधित खाता विभाग को प्रेषित किया जाना है, तत्पश्चात् राशि सीधे संबंधित खाता में नियमानुसार भेजी जाएगी।

इसी प्रकार न्याय मित्रों के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(13) कोषागार :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा के यहां लगभग- 10 लाख, कृषि-4 करोड़, मत्स्य-98 लाख, जिलाधिकारी, मधेपुरा-26 लाख, नजारत-19 लाख, निर्वाचन-7 करोड़, नजारत-2 लाख, मेडिकल कॉलेज-3 करोड़ 96 लाख, पुलिस

अधीक्षक–30 लाख, गृह–9–करोड़, अनु0पदा0, मधेपुरा–97 लाख, होमगार्ड–77 लाख, अनु0पदा0, उदाकिशुनगंज–46 लाख, पंचायत–5 करोड़, उत्पाद–1 करोड़, अंचलाधिकारी ग्वालपाड़ा–1 करोड़, अंचलाधिकारी उदाकिशुनगंज–1 करोड़ 41 लाख, अंचलाधिकारी आलमनगर–90 लाख, अंचलाधिकारी मधेपुरा–50 लाख, अंचलाधिकारी शंकरपुर–18 लाख, अंचलाधिकारी चौसा–39 लाख, अंचलाधिकारी सिंहेश्वर–28 लाख, अंचलाधिकारी कुमारखण्ड 2 करोड़ 16 लाख, भू–अर्जन 97 लाख रू0 ए0सी0 /डी0सी0 विपत्र की राशि लंबित रहने संबंधी जानकारी कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिया गया। इसी प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी शंकरपुर–3 लाख, चौसा–1 करोड़, गम्हरिया–12 लाख, घैलाढ़–80 लाख, पुरैनी–1 करोड़, सिंहेश्वर 1 करोड़ 50 लाख, उप विकास आयुक्त मधेपुरा–6 करोड़, ग्वालपाड़ा–3 करोड़, उदाकिशुनगंज–3 करोड़, मुरलीगंज–1 करोड़ रू0 लगभग समायोजन हेतु लंबित पाया गया।

समीक्षा के क्रम में कुछ पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि महालेखाकार कार्यालय, पटना में उनके द्वारा सीधे ए0सी0 /डी0सी0 विपत्रों का समायोजन किया गया है, जबकि वहां से चेक लिस्ट प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि संबंधित चेक लिस्ट कोषागार, मधेपुरा में अविलम्ब जमा किया जाए, ताकि उसे अपडेट किया जा सके। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, मधेपुरा को यह भी निदेशित किया गया कि प्रधान सचिव महोदय को पत्राचार किया जाए, जिसमें ए0सी0 /डी0सी0 विपत्रों के समायोजन हेतु संसूचित किया जाए कि बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा उक्त राशि का समायोजन करने के पश्चात् भी विभागीय वेबसाईट पर उसे अपडेट नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान मद में अंचलाधिकारी पुरैनी–7 लाख, उदाकिशुनगंज–1 लाख 3 हजार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुरा–82 हजार, ग्वालपाड़ा–9 लाख, मुरलीगंज–9 लाख, घैलाढ़–4 लाख, सिंहेश्वर 33 हजार रू0 लगभग डी0सी0 विपत्र लंबित है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका समायोजन करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।

(14) स्वच्छ भारत मिशन :–

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चौसा में 38 प्रतिशत लाभुकों को भुगतान हुआ है, जबकि आलमनगर में 203 को भुगतान किया गया है। निदेश दिया गया कि जिस–जिस प्रखण्ड में राशि है, वे अविलम्ब नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

यह भी बताया गया कि विगत सप्ताह में घैलाढ़–01, मुरलीगंज 01 वार्ड ओ0डी0एफ0 हुआ है, जबकि आलमनगर में कुल 12 वार्ड में से 2 ओ0डी0एफ0 के लिए तैयार है, परन्तु संबंधित प्रपत्र नहीं रहने के कारण ओ0डी0एफ0 घोषित नहीं हो पाया है। जिला समन्वयक को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह में 4 वार्ड और ओ0डी0एफ0 होने की संभावना है। निदेश दिया गया कि दो दिनों के अंदर ओ0डी0एफ0 करें।

इसी प्रकार बिहारीगंज के दो वार्ड, चौसा के दो वार्ड, गम्हरिया में 2 वार्ड, घैलाढ़ में 2 वार्ड, ग्वालपाड़ा में वार्ड नं0–2 एवं 06 का ओ0डी0एफ0 होने संबंधी जानकारी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जबकि कुमारखण्ड में वार्ड नं0 6, 13, मधेपुरा के बालम गढ़िया में 4,7,10, मुरलीगंज के रघुनाथपुर में वार्ड नं0–1, 3, 4, पुरैनी के दुर्गापुर एवं वंशगोपाल में 1, 6, 5, शंकरपुर में वार्ड नं0–7 एवं 9, सिंहेश्वर में 01, उदाकिशुनगंज में 2

वार्ड दिनांक 31-03-2017 के पूर्व ओ0डी0एफ0 होने की सूचना संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दी गयी।

समीक्षा के क्रम में आलमनगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 47 हजार बांकि है, जबकि उदाकिशुनगंज के पास 14 लाख, कुमारखण्ड में 7 लाख, गम्हरिया में 41 लाख, ग्वालपाड़ा, घैलाढ़ में 27 लाख, चौसा में 2 लाख रू0 एम0आई0एस0 पर अवशेष दिखायी जा रही है। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि राशि की आवश्यकता हो, तो अविलम्ब अधियाचना भेजी जाए।

(15) नगर परिषद्, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 442 लाभुकों में से 435 लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि ससमय पूर्ण करावें।

(16) सात निश्चय कार्यक्रम :-

समीक्षा के क्रम में हर घर नल का जल के संबंध में बताया गया कि 1950 परिवारों का स्वीकृत हुआ है। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 से यह पृच्छा की गयी कि संबंधित प्रखण्ड में लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो रहा है अथवा नहीं, तो इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बताया गया कि 9 जून, 2017 तक पानी टंकी का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो जाएगा। निदेश दिया गया कि पानी टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करावें।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नगर परिषद् अन्तर्गत हर घर नल का जल का पाईप बिछाने के पूर्व सही ढ़ंग से सर्वे करा लिया जाए, ताकि शत-प्रतिशत लाभुकों को इसका लाभ नियमानुसार दिया जा सके।

(17) परिवहन :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 11.50 करोड़ रू0 राजस्व की वसूली हुई है, जबकि 15 करोड़ रू0 लक्ष्य निर्धारित था, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया एवं प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में एक आदेश पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी को भटगामा, मोटरयान निरीक्षक को मुरलीगंज एवं इनफोर्समेन्ट ऑफिसर को गम्हरिया सीमा के पास प्रतिनियुक्त किया जाए, ताकि ओभरलोडिंग वाहनों की जांच ससमय किया जा सके।

(18) विद्युत परियोजना :-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 10 गांव में काम चल रहा है, जिसमें शंकरपुर प्रखण्ड में 02 गांव, चौसा में 03 गांव, कुमारखण्ड में 3 गांव में कुछ कार्य बांकि है, जहां कार्य प्रारंभ हैं निदेश दिया गया कि 3 अप्रैल, 2017 तक हरहाल में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करें। इसी प्रकार 62000 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है, जबकि लगभग 32000 बी0पी0एल0 परिवार बांकि है। यह भी बताया गया कि ए0पी0एल0 कनेक्शन हेतु गम्हरिया प्रखण्ड को चिन्हित किया गया है, परन्तु संबंधित एजेंसी द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त कार्य अविलम्ब पूर्ण करावें एवं अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(19) विद्युत आपूर्ति :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों में विद्युत बकाया राशि लंबित है, जिसमें नलकूप के यहां अधिक राशि लंबित है। साथ ही सिंहेश्वर मंदिर में भी विद्युत बकाया राशि लंबित है, जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र बिजली विपत्र की राशि नियमानुसार जमा करावें।

(20) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल :-

मधेपुरा :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा से पी0एम0जी0एस0वाई0 के निर्माण /पूर्ण की स्थिति की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 35 रोड में से दिनांक 31-03-2017 तक 11 सड़कों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जबकि 24 में कार्य बच जायेगा, जो मार्च महीने के बाद होगा। इसी प्रकार एम0एम0जी0एस0वाई0 में 12 सड़क पूर्ण हो जाएगा, जबकि 24 सड़क बच जायेगा। निदेश दिया गया कि समय-सीमा के अंदर उक्त सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण करावें।

उदाकिशुनगंज :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 में 52 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा मात्र 20 बचेगा। जबकि एम0एम0जी0एस0वाई0 में 90 में से 70 पूर्ण हो गया है तथा 20 शेष हैं। निदेश दिया गया कि समय-सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करावें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि फुलौत में जमीन है, जहां पुल बन गया है, परन्तु एप्रोज की समस्या है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(21) पुल निर्माण निगम :-

कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम से पृच्छा की गयी कि पुल की क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। मात्र भागलपुरिया पुल में अतिक्रमण के कारण एप्रोज निर्माण नहीं हो रहा है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(22) मेडिकल कॉलेज :-

अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर को निदेशित किया गया कि संबंधित जमीन के प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(23) पथ प्रमण्डल, मधेपुरा :-

समीक्षा के क्रम में योगीराज एवं चौसा-भटगामा सड़क निर्माण के संबंध में बताया गया कि निर्माण कार्य चल रहा है। बताया गया कि भटगामा से जिरो माईल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जबकि चौसा से योगीराज तक निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तथा 15 अप्रैल, 2017 तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। निदेश दिया गया कि ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करावें।

(24) उत्पाद :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चौसा में चेक पोस्ट पूर्ण हो जाएगा। बताया गया कि 90 गृह रक्षक, 12 सिपाही तथा 7 सैप के जवान उत्पाद विभाग अन्तर्गत उपलब्ध है, अतएव जांच नियमित रूप से कराने का निदेश अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा को दिया गया।

(25) एन0एच0 :-

कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 द्वारा बताया गया कि डी0एल0आर0सी0सी0 की बैठक किया जाना है। बताया गया कि उक्त कमिटी के सदस्य सचिव, कार्यपालक अभियंता होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि उक्त समिति की बैठक अपने स्तर से करें तथा बैठक की कार्यवाही /प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाए। यह भी बताया गया कि दिनांक 17-04-2017 को वर्ल्ड बैंक की टीम मधेपुरा आने वाली है। बताया गया कि ग्वालपाड़ा में एन0एच0 सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, अतएव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा को निदेश दिया गया कि उक्त सड़क की जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करें। यह भी बताया गया कि दिनांक 30 जून, 2017 तक मानिकपुर से ग्वालपाड़ा तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।

(26) धान अधिप्राप्ति :-

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 29262 एम0टी0 धान अधिप्राप्ति अभी तक हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण किया जाए। यह भी बताया गया कि अभी तक 54 प्रतिशत चावल ही गिराया गया है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 28 मिल जिलान्तर्गत अवस्थित है, जिसमें सभी मिल की क्षमता 2 टन के लगभग है।

(27) गव्य विकास :-

जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री संस्थाल सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत् 30 लाभुकों को लाभ दिया जाना है, जबकि राशि अधिक उपलब्ध है, परन्तु विभाग से 30 लाभुकों को ही लाभ दिये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में विभाग को पत्राचार करने हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(28) उद्योग :-

समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ऋण हेतु 70 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत हो गया है, जिसमें 1करोड़ 50 लाख रू0 अनुदान सम्मिलित है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(29) मत्स्य :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बहुत सारे सरकारी पोखर /तालाब को अतिक्रमण किया गया है, जिसे खाली कराने की आवश्यकता है। बताया गया कि मधेपुरा-06, सिंहेश्वर-05, घैलाढ़-02, गम्हरिया-05, कुमारखण्ड-03, बिहारीगंज-02, मुरलीगंज-01, आलमनगर-01, शंकरपुर-01, उदाकिशुनगंज-02, पुरैनी-06 एवं चौसा-07 अर्थात कुल-41 अतिक्रमित तालाबों /जलकरों की संख्या जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बतायी गयी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि विभिन्न पत्रांक /दिनांक के माध्यम से संबंधित अंचलाधिकारी को अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(30) एस0एफ0सी0 :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 100 वितरण हुआ है। सभी जगह ट्रेक्टर उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि ससमय वितरण करावें।

(31) डी0आर0सी0सी0 :-

प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि विद्युत ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के अप-डॉन होने के कारण शॉट सर्किट हुआ तथा आग लग गयी थी, जिसमें बहुत क्षति हुई है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत /भवन को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि डी0आर0सी0सी0 में बोरिंग अविलम्ब गड़वाया जाए, ताकि पानी की समस्या नहीं रहे।

(32) अन्यान्य :-

(1) कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज-गमैल रोड बनाया जा रहा है, जहां पी0एच0ई0डी0 का पानी वाला टंकी /पाईप को क्षति हुआ है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(2) समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इंडोर स्टेडियम, मधेपुरा में दो-तीन समस्या अभी भी है। बताया गया कि फाईबर का भेन्टीलेशन रहने के कारण आवाज गुंजता है, जिसे देखने की आवश्यकता है। साथ ही कहीं-कहीं पानी चूने की भी सूचना प्राप्त हुई है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(3) कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी एवं मंदिर के चहारदिवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 3 मंदिर में चहारदिवारी निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 2 फिनिसिंग पर है। साथ ही 2 लौटरी हेतु प्रक्रिया लंबित है। यह भी बताया गया कि 7 मंदिर के चहारदिवारी हेतु 58 लाख रू0 लगभग व्यय होगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रामजानकी मंदिर सिंहेश्वर में बाउन्ड्री की समस्या है, अतएव अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर को निदेशित किया गया कि नियमानुसार नापी कराना सुनिश्चित करें।

(4) सांख्यिकी :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जन्म-मृत्यु संबंधी प्रतिवेदन संबंधित प्रखण्ड से अप्राप्त रहने के कारण विभाग को ससमय भेजने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि एक आदेश पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें सभी प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी /सांख्यिकी पर्यवेक्षकों को उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाए। साथ ही जब तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक संबंधित प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी /सांख्यिकी पर्यवेक्षक का मानदेय स्थगित रहेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29.3.17	29/3/17	30.3.2017
निजी सहायक,	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

ज्ञापांक 784 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 30-03-2017

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण

पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निजी सहायक,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।